Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 20, Issue No. 3, July-2023, ISSN 2230-7540

मुगल शासन का स्वरूप एवं उपलब्धियाँ : एक अध्ययन

बिनोद कुमार साव*

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

***सार** - प्रस्तुत अध्ययन "मुगल शासन का स्वरूप एवं उपलब्धियाँ: एक अध्ययन" का अध्ययन है। मुगल नाम मंगोल से व्युत्पन्न हुआ है। यद्यपि आज यह नाम एक साम्राज्य की भव्यता का अहसास कराता है लेकिन राजवंश वेफ शासकों ने स्वयं के लिए यह नाम नहीं चुना था। उन्होंने अपने को तैमूरी कहा क्योंकि पितृपक्ष से वे तुर्की शासक तैमूर के वंशज थे। पहला मुगल शासक बाबर मातृपक्ष से चंगेज खाँ का संबंधी था। वह तुर्की बोलता था और उसने मंगोलों का उपहास करते हुए उन्हें बर्बर गिरोह के रूप में उल्लिखित किया है।*

***कुंजि** - मुगल साम्राज्य, मुगलकाल का समाज, मुगलकाल में कला और संस्कृति का विकास इत्यादि ।*

----------X----------

प्रस्तावना

मुगलों के राजत्व की अवधारणा तुर्की मंगोल परंपरा पर आधारित थी। तुर्की मंगोल परंपरा में शक्तिशाली राजतंत्र की अवधारणा थी। मंगोल खलीफा की सत्ता को नहीं मानते थे। चंगेज खाँ के पौत्र हलाकू खाँ ने बगदाद के खलीफा की हत्या कर दी। मुगलों ने भी मंगोलों के प्रभाव में खलीफा की सत्ता को नकार दिया। मुगल शासकों ने अपने को खलीफा घोषित किया। अपनी विदेश नीति की बाध्यता के कारण भी मुगलों ने अपने को खलीफा घोषित किया।

मुगल शासन का स्वरूप- दिल्ली के सुलतानों के विचारों एवं सिद्धान्तों से भिन्न विचारों और सिद्धांतों पर मुगल शासन की स्थापना मुख्यतः अकबर का कार्य था। उसके दो पूर्वाधिकारियों- बाबर तथा हुमायूँ- में असैनिक सरकार की पद्धति को रूपायित करने के लिए बाबर को न तो समय था और न अवसर ही तथा हुमायूँ का न तो झुकाव था और न योग्यता ही। यद्यपि अकबर उच्च श्रेणी की राजनैतिक प्रतिभा से सम्पन्न था तथापि कुछ बातों में वह सूरों के शासन सम्बन्धी संगठन का ऋणी था। मुगल सरकार भारतीय तथा गैर-भारतीय तत्वों का सम्मिश्रण थी। कह सकते हैं कि यह भारतीय वातावरण में पारसी-अरबी प्रणाली थी। यह स्वरूप में मुख्यतया सैनिक भी थी तथा मुगल राज्य के प्रत्येक अफसर को सेना की सूची में नाम लिखना पड़ता था। यह आवश्यक रूप में एक केन्द्रीकृत एकतंत्री शासन था तथा बादशाह की शक्ति असीम थी। उसका शब्द कानून था तथा उसकी इच्छा का कोई विरोध नहीं कर सकता था। वह राज्य में सर्वोच्च अधिकारी, शासन का प्रधान, राज्य की सेनाओं का अध्यक्ष, न्याय का स्रोत तथा प्रधान कानून था। वह अल्लाह का खलीफा था तथा (इस्लामी) धर्मग्रंथों एवं इस्लामी परम्पराओं का पालन करना उसका कर्तव्य था। परन्तु व्यवहारिक रूप में यदि कोई प्रबल बादशाह चाहता, तो वह धार्मिक कानून (इस्लामी कानून) के विरुद्ध कार्य कर सकता था। आधुनिक मंत्रिमंडल जैसी कोई वस्तु नहीं थी। मंत्री परामर्श देने के अधिकार का दावा नहीं कर सकते थे। उनके परामर्श को स्वीकार करना अथवा नहीं करना बिलकुल बादशाह की खुशी पर था। वास्तव में बहुत-कुछ बादशाह तथा उसके मत्रियों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व पर निर्भर था। शाहजहाँ जैसा विवेकी शासक सदैव एक सादुल्ला खाँ से सलाह लेना चाहता था, जबकि हुसैन अली खाँ जैसे मंत्री को अपने द्वारा गद्दी पर बैठाये गये कठपुतलों की कोई परवाह न थी, बल्कि उनके प्रति खुल्लमखुल्ला घृणा तक थी। फिर भी भारत के पहले छः मुगल बादशाहों की प्रबल सामान्य-बुद्धि थी। अतरू उनका एकतंत्री शासन भ्रष्ट होकर ऐसे असहनीय निरंकुश शासन में परिवर्तित नहीं हो गया, जो लोगों के अधिकारों तथा रीतियों को पैरों तले कुचलता चले। परोपकारी स्वेच्छाचारियों की प्रवृत्ति से सम्पन्न रहने के कारण ये बादशाह, एक या दूसरे तरीके से, अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठिन परिश्रम करते थे-विशेष रूप से केन्द्रीय

www.ignited.in

राजधानी के चारों ओर के क्षेत्रों तथा प्रान्तों में राजप्रतिनिधियों की सरकारों के स्थान पर। परन्तु उन दिनों राज्य कोई समाजवादी कार्य नहीं करता था और न तब तक ग्रामवासियों के जीवन में हस्तक्षेप ही करता था जब तक उस इलाके में कोई हिसात्मक अपराध अथवा राजा की प्रभुता का विरोध न हो। एक दृष्टिकोण से मुगल बादशाहों की विशाल शक्ति अत्यन्त सीमित थी। उनके आदेश साम्राज्य के सुदूरवर्ती कोनों में सदैव आसानी से लागू नहीं किये जा सकते थे-छोटा नागपुर तथा संथाल परगने के कुछ पहाड़ी इलाकों का तो कुछ कहना ही नहीं था, जिन्होंने संभवतः उनके आधिपत्य को कभी माना ही नहीं। जब हम लगभग प्रत्येक बादशाह को अपने राज्यकाल के प्रथम वर्ष में एक ही प्रकार के करों और चुगियों के उठाने की आज्ञा देते हुए पाते हैं, तब हमें यह विश्वास करना पड़ता है कि इनके उठाने के पिछले प्रयत्न निश्फल और अकार्यकारी हुए। भारत के अंग्रेजी कारखानों (फैक्ट्रियों) के कागजात में यह दिखलाने के लिए प्रचुर संकेत हैं कि शाहजहाँ तथा औरंगजेब के जमाने तक में (उनके दुर्बल उत्तराधिकारियों के राज्यकालों का तो कुछ कहना ही नहीं) सूबेदार, प्रान्तीय दीवान एवं चुंगी-अफसर कभी-कभी केन्द्रीय सरकार की आज्ञा के विरुद्ध काम किया करते थे और अधिकतर स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से ही ऐसा होता था।

सरदार वर्ग- कई कारणों से सरदार-वर्ग विभिन्न तत्वों की मिश्रित संस्था थी- जैसे तुर्क, तार्तार, पारसी तथा भारतीय मुसलमान और हिन्दू। अतरू यह एक शक्तिशाली सरदार-वर्ग के रूप में अपना संगठन नहीं कर सका। कुछ यूरोपियनों को भी सरदारों की उपाधियाँ मिलीं। सिद्धान्त रूप में सरदार- वर्ग पुश्तैनी न होकर बिलकुल अधिकारी वर्ग था। सरदार को जागीर केवल जीवन भर के लिए मिलती थी तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् बादशाह की हो जाती थी तथा उपाधियाँ और वेतन सामान्यतः पिता से पुत्र को नहीं दिये जा सकते थे। उत्तराधिकारी के अभाव में जायदाद की बादशाह द्वारा जब्ती की प्रथा का परिणाम अत्यन्त हानिकारक हुआ। सरदार अतिव्ययी जीवन व्यतीत करने लगे। वे अपनी जीवन-काल में ही अपनी सारी संपत्ति अनुत्पादक विलास में नष्ट कर देते थे। इससे भारत को एक स्वतंत्र पैतृक कुलीनवर्ग के रूप में जनता की स्वतंत्रता का एक प्रबल रक्षक तथा राजा की निरंकुशता पर एक प्रबल प्रतिबन्ध नहीं मिल सका। इस स्वतंत्र पैतृक कुलीन वर्ग की स्थिति तथा सम्पत्ति प्रत्येक पीढ़ी में राजा की कृपा पर निर्भर नहीं रहती थी और इस कारण वह राजा के सनकीपन की आलोचना तथा राजा की निरंकुशता का विरोध करने का साहस कर सकता था।

नौकरशाही- साम्राज्य की सैनिक शक्ति बनाये रखने के लिए मुगलों को बड़ी संख्या में विदेशी साहसिकों को नियुक्त करना आवश्यक हो गया। यद्यपि अकबर ने भारत भारतीयों के लिए की नीति आरम्भ की तथा हिन्दुओं के लिए सरकारी पद खोल दिया, फिर भी मुगल लोक-सेवा (सरकारी नौकरियों) में विदेशी तत्वों की प्रधानता रही। लोक-सेवाओं का सामान्य स्वरूप जहाँगीर तथा शाहजहाँ के राज्यकालों में अपरिवर्तित रहा। परन्तु उनकी कार्यक्षमता में जहाँगीर के राज्यकाल से ही हास आरम्भ हो गया, उसके पुत्र के राज्यकाल में यह खास ध्यान आकृष्ट करने लायक हो गया, औरंगजेब के राज्यकाल में उससे भी अधिक ध्यान आकृष्ट करने लायक हो गया।

शासन के प्रमुख अधिकारी- यद्यपि मुगल बादशाहों को पूर्ण अधिकार थे, किन्तु सरकार के विभिन्न विभागों में विविध सरकारी मामलों के प्रबन्ध के लिए वे बहुत-से अफसर नियुक्त कर देते थे। राज्य के प्रमुख विभाग थे-

- खान-ए-सामान के अधीन शाही परिवार,
- दीवान के अधीन कोश,
- मीर बख्शी के अधीन सैनिक वेतन तथा लेखा-जोखा कार्यालय,
- प्रधान काजी के अधीन न्याय विभाग,
- प्रमुख सदर अथवा सदरेसदूर के अधीन धार्मिक धन समर्पण तथा दान तथा
- मोहतासिब के अधीन प्रजा के चरित्र एवं व्यवहार की देख-भाल।

उपलब्धियाँ

मुगलकालीन शासन व्यवस्था मुगलकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता था । कुशल व्यवस्था के कारण ही मुगल सम्राट विशाल मुगल साम्राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके । मध्य युग में धर्म तथा राज्य का घनिष्ठ सम्बन्ध था। मुगल शासक इस्लाम का शासन पर प्रभाव स्वाभाविक था। इस्लामी सिद्धान्त के अनुसार मुस्लिम शासक को स्वयं तो शरीअत का पालन करना ही चाहिए, साथ ही उसी के आधार पर शासन करना चाहिए। इस्लामी सिद्धांत के अनुसार मुसलमानों की सभी संस्थाएँ शरीअत के पालन के लिए निर्मित हुई हैं। इस दृष्टि से मुगल

सम्राटों की धार्मिक नीति तथा उनकी धार्मिक मान्यताएँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

बाबर एक सुन्नी मुसलमान व्यक्ति था। वह अपनी आत्मकथा में अपनी सफलता के लिए बार-बार ईश्वर को धन्यवाद देता है। बाबर ने कई ऐसे कार्य भी किए जो इस्लाम में वर्जित हैं। इस्लाम शराब पीने की मनाही करता है, किन्तु बाबर शराब पीता था। उसकी आत्मकथा में ऐसे जश्नों का वर्णन है ज बवह अपने मित्रों और अमीरों के साथ शराब पीते-पीते बेहोश हो जाता था। बाबर यह समझता था कि यह पाप है। इसी कारण खानवा के युद्ध के पूर्व (1527ई0) उसने शराब न पीने की प्रतिज्ञा की और मटकों में आई हुई शराब फिकवा दी किन्तु युद्ध के पश्चात् वह अपनी इच्छा पर काबू न पा सका और उसने पुनः शराब पीना प्रारम्भ कर दिया।

बाबर के लिए राजनीति महत्वपूर्ण थी। आवश्यकता पड़ने पर उसने अपनी राजनीतिक अच्छाओं की पूर्ति हेतु धर्म का उपयोग किया। इसी कारण खानवा की लड़ाई में उसने जिहाद (धर्मयुद्ध) की घोषणा की, यद्यपि इसके पूर्व पानीपत के युद्ध मंे उसने इस तरह की कोई घोषणा नहीं की थी। समरकन्द पर अधिकार करने के लिए उसने बाह्य रूप में शिया मत स्वीकार किया। समरकन्द हाथ से निकल जाने के पश्चात् वह पुनः सुन्नी बन गया। चन्देरी के सूबेदार जैन खाँ द्वारा चन्देरी के मंदिर तथा बाकी द्वारा अयोध्या के मंदिर के विनाश का उसने विरोध किया। कदाचित इससे उसके मुस्लिम अधिकारियों तथा सैनिकों को धार्मिक यश प्राप्त होता था। वह हिन्दुओं से जजिया कर लेता रहा, किन्तु राजनीतिक उथल-पुथल के भय से उसने भारत के निवासियों को मुसलमान बनाने का कोई आंदोलन प्रारम्भ नहीं किया। यहाँ उसने तटस्थता अपनाई और साधारण लोगों प्रारम्भ नहीं किया। यहाँ उसने तटस्थता अपनाई और साधारण लोगों के धर्म पालन में उसने कोई बाध उपस्थित नहीं की।

उद्देश्य:

1. मुगल प्रशासन के अन्तर्गत अविभाज्य सम्प्रभुता प्राप्त करना ।
2. सामाजिक कार्य सरकार का दायित्व न होकर समुदाय विशेष तथा वर्ग-विशेष का दायित्व समझना ।
3. मुगल शासकों ने यूरोप में राज्य और धर्म के बीच होने वाले खुनी संघर्ष से भिन्न राज्य को धर्म से पृथक रखने का प्रयास करना।
4. धर्म और राज्य में का पृथक्करण सल्तनत काल से चली आ रही प्रवृति को सहज क्रम में रखना ।
5. मुगल प्रशासन के कानुनी आधार का अनुशीलन करना ।

परिकल्पना

1. मुगल शासन प्रणाली की भौगोलिक स्थिति इस अवधी में कैसी थी?
2. मुगल शासन प्रणाली की राजनैतिक पृष्ठभूमि इस अवधी में कैसी रही है ।
3. मुगल शासन प्रणाली प्रषासनिक व्यवस्था इस अवधी कैसी रही है ।
4. मुगल शासन प्रणाली सामाजिक व्यवस्था इस अवधी कैसी रही है ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत शोध-लेख में द्वितीयक स्रोतों के माध्यम से ऐतिहासिक, सैद्धांतिक विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक, समाजिक एंव नवीन व्यवहारिक पद्धतियों को अपनाते हुए शोध-लेख को मौलिकता प्रदान करने का प्रयास किया गया है । इस शोध कार्य हेतु आवश्यक सामाग्री मुगल शासन का स्वरूप एवं उपलब्धियाँ से संबंधित पुस्तकालयों, इंटरनेट एंव शोध संस्थानों आदि में उपलब्ध साधनों के अलावा प्राचीनकालिन, मध्यकालिन तथा आधुनिक संदर्भ-गं्रथों से एकत्र किया गया है। इन संदर्भ पर आधारित पुस्तकों के अलावा विभिन्न आयोगों के प्रकाशनों आत्मलेखो, समाचार पत्र-पत्रिकाओं, इत्यादि के लेखन सामाग्री संग्रहित कर विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत है ।

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि मुगलकालीन शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता था। कुशल शासन व्यवस्था के कारण ही मुगल सम्राट विशाल मुगल साम्राज्य को कुशलता पूर्वक चला सके । जे.एन. सरकार के अनुसार मुगलकालीन शासन व्यवस्था भारतीय और अभारतीय तत्वों का मिश्रण था अर्थात यह भारतीय वातावरण में ईरानी अरबी शासन पद्धति थी ।

www.ignited.in

संदर्भ सूची

1. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का सामाजिक इतिहास, बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी, पटना, 2002, पृ0 54
2. वही पृ0 56
3. दामोदर धर्मानंद कोसांबी, प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली, 2002 पृ0 12
4. वही पृ0 16
5. रोमिला थापर, भारत का इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1996 पृ0 58
6. शर्मा कालू राम, मध्यकालीन भारत का इतिहास, 2000 पृ0 20
7. वही पृ0 22 ।

Corresponding Author

बिनोद कुमार साव*

शोधार्थी, लोक प्रशासन विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया